राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक:प.6(43)राज/ग्रुप-6/2001/66   जयपुर, दिनांक 23/10/01

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम संख्या 15 वर्ष 1956) की धारा 26 उपधारा (1) के खण्ड (ग)(घ) सपठित धारा 260 उप धारा (1) के खण्ड (य) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (राजस्थान अधिनियम संख्या 3 वर्ष 1955) की धारा 88 के अन्तर्गत घोषणात्मक वादों के निस्तारण हेतु सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियों का राज्य के समस्त जिलों में कार्यरत समस्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी/समस्त राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के भीतर प्रयोग किया जावेगा।

यह अधिसूचना दिनांक 1.10.2001 से 31.12.2001 तक प्रभावी रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(एल. एन. शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपी- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मुख्यमंत्री महोदय/राजस्व मंत्री महोदया।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय/अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय एवं विकास आयुक्त।
3. निजी सचिव/राजस्व सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव महोदय।
4. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
5. समस्त सम्भागीय आयुक्त राजस्थान।
6. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
7. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान, जयपुर को राजपत्र विशेषांक दिनांक 23/10/01 में प्रकाशनार्थ।
8. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
9. "रविरा" राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
10. समस्त शासन उप सचिव, राजस्व विभाग।
11. अतिरिक्त निबन्धक (वित्त एवं लेखा) राजस्व मण्डल, अजमेर।
12. विधि संहिताकरण विभाग।
13. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव